<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>प्रकरण संख्या–31/2025</u>

1. कृष्ण पुत्र भीराज जाति जाट साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलांट–

बनाम

1. कालुराम पुत्र भीराज जाति जाट साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. नानूदेवी पत्नी भीराज जाति जाट साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. इन्द्रा पुत्री भीराज जाति जाट साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. शारदा पुत्री भीराज जाति जाट साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. सन्तोष पुत्री भीराज जाति जाट साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–असल रेस्पोंडेंट

7. मानाराम पुत्र भीराज जाति जाट साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. लालचन्द पुत्र भीराज जाति जाट साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

– तरतीबी रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांट।

श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता रेस्पो[illegible]ा 1, 2, 3, 4, 5

श्री रामकुमार बैनिवाल [illegible] 1, 2, 3, 4, 5

श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट स[illegible]7 7, 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:43:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 31/2025 अनवान कृष्ण बनाम कालूराम आदि

अपीलांट कृष्ण पुत्र भीराज जाति जाट साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 09.12.2024 में वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करनें बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा विरास्तन नामान्तरण संख्या 390 दिनांक 20.12.2024 दर्ज व तस्दीक किया, जो को अपास्त करवाने बाबत अपील पेश की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकर है–

प्रार्थी अपीलांट की तरफ मातहत अदालत तहसीलदार (राजस्व) रावतसर के यहां एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलांट के पुत्र रोबिन पुत्र कृष्ण कौम जाट साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर बाबत मृतक भीराज की वसीयत अनुसार नामान्तरण दर्ज करने हेतु प्रस्तुत हुआ जिसका मातहत अदालत ने प्रकरण संख्या 48/2024 दर्ज किया गया, जिसमें प्रार्थी अपीलांट की तरफ से निवेदन किया गया कि श्री भीराज पुत्र डूंगरराम कौम जाट निवासी रामपुरा तहसील रावतसर ने अपनी कृषि भूमि ग्राम चक 1 आर.पी.एम. 9 एन. डब्ल्यू.डी. 6 एन. डब्ल्यू.डी. 2 डी.डब्ल्यू. एम. में चक 1 आर. पी. एम. की 12 बीघा कमाण्ड, चक 9 एन.डब्ल्यू. डी. की 30 बीघा कमाण्ड, चक 6 एन. डब्ल्यू.डी. की 31 बीघा, चक 2 डी.डब्ल्यू. एम. का 6 बीघा कमाण्ड और 6 एन. डब्ल्यू. डी. की 5 बीघा तादादी 83 बीघा में से 1/2 अर्थात 41 बीघा 10 बीस्वा और चक 6 एन. डब्ल्यू.डी. की 12 बीघा 10 बीस्वा कुल 54 बीघा तहसील रावतसर की एक वसीयत कृष्ण, मानाराम, लालचन्द कालुराम पुत्रगण भीराज कौम जाट साकिन रामपुरा के पक्ष में दिनांक 24.03.2007 को नोटरी पब्लिक नत्थूराम शर्मा के रूबरू करवाई थी तथा मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र वसीयतकर्ता की दिनांक 11.05.2023 को मृत्यु हो चुकी है। मुताबिक वसीयत दिनांक 24. 03.2007 के अनुसार नामान्तरण दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया तथा वसीयत के सम्बन्ध में किसी अन्य की आपति हेतु दैनिक अखबार में आम सूचना प्रकाशित करवाई जानी है एवं पटवारी हल्का से रिकार्ड/मौका/स्थगन /विवाद व भूमि अर्जन की रिपोर्ट तलब की जावें तथा समस्त रिपोर्ट प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में थी तथा मातहत अदालत को वसीयत के गवाह के बयान ना करवाकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 कालुराम व नानूदेवी के एतराज प्रार्थना पत्र करने पर तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट में वादग्रस्त पैतृक सम्पति मानकर वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2024 को खारिज कर दिया तथा वादग्रस्त भूमि का विरास्तन नामान्तरण दर्ज के आदेश नियम विरूद्ध पारित कर दिये जिससे अपीलांट प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होती है तथा अपीलांट प्रार्थी के खातेदारी हकूक का हनन होता है जिससे अपीलांट प्रार्थी दिनांक 09.12.2024 ब अदालत मातहत करवाने बाबत व विरास्तन नामान्तरण संख्या 390 दिनांक 20.12.2024 को अपास्त करवाने बाबत तथा वसीयत दिनांक 24.03.2007 के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने बाबत यह अपील अपीलांट ज्ञान से अन्दर मियाद निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:43:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

1. आदेश दिनांक 09–12–2024 बअदालत मातहत व विरासतन नामान्तरण संख्या 390 दिनांक 24.12.2024 बअदालत मातहत बखिलाफ कानून, नियम वाक्यात व रूएदाद मिसल है तथा नियम विरूद्ध है तथा काबिल मन्सूखी है। सत्य प्रतिलिपि आदेश दिनांक 09.12.2024 बअदालत मातहत तथा विरासतन नामान्तरण संख्या 390 दिनांक 24.12.2024 बअदालत मातहत संलग्न अपील है।

2. मातहत अदालत ने अपीलांट प्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजात पर कोई गौर ना करे कतई नियम विरूद्ध व स्वेच्छाचारी पूर्ण तथा मनमाना आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है।

3. मातहत अदालत ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज ना करे अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत वसीयत के आधार नामान्तरण दर्ज करने का दिनांक 09–12–2024 खारिज कर दिया तथा पटवारी की रिपोर्ट पर वादग्रस्त पैतृक सम्पति मानते हुए विरास्तन नामान्तरण संख्या 390 दिनांक 24.12.2024 के आधार पर दर्ज व तस्दीक किया है जो नियम विरूद्ध है तथा काबिल खारिजी है।

4. मातहत अदालत ने वादग्रस्त भूमि के सम्बनध में हुई वसीयत दिनांक 24.03.2007 जो भीराज पुत्र डूंगरराम ने अपने चारों पुत्रों के नाम वसीयत के आधार पर हकदार व खातेदार माना है मगर मातहत अदालत ने वसीयत के दो गवाह के ब्यान ना लेकर केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर विरासतन नामान्तरण संख्या 390 दिनांक 24.12.2024 दर्ज व तस्दीक किया है जिसमें भीराज के समस्त 8 वारिसान अपीलांट प्रार्थी व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 5 व तरतीबी रेस्पोन्ट नम्बर 7 व 8 आठो के बहिस्सा बराबर दर्ज करने का आदेश पारित किया है, जो नियम विरूद्ध है तथा काबिल अपास्तनीय है।

5. मातहत अदालत ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान की पालना ना करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र बाहर जाकर वादग्रस्त भूमि के सम्बध में वसीयत के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नामान्तरण दर्ज करना चाहिए था मगर मातहत अदालत ने जब उसको वसीयत के वैधता व अवैधता की जांच करने का अधिकार नहीं है मातहत अदालत को मृतक की वसीयत के आधार नामान्तरण दर्ज करना चाहिए था, मगर मातहत अदालत ने मृतक वसीयतकर्ता की इच्छा के खिलाफ जाते हुए विरासतन नामान्तरण दर्ज कर दिया है तथा आदेश दिनांक 09.12.2024 व नामान्तरण संख्या 390 दिनांक 24.12.2024 बअदालत मातहत काबिल अपास्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:43:53 IST
Reason: SelfAttested

6. निर्णय दिनांक 09.12.2024 व नामान्तरण संख्या 390 दिनांक 24.12.2024 बअदालत मातहत निर्णय व आदेश की परिभाषा नहीं आता है तथा मातहत अदालत

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

ने अपना न्यायिक स्व–विवेक काम ना लेते हुए पारित किया है, जो काबिल निरस्तनीय है।

7. अपील अपीलांट न्यायालय के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है तथा 2/– रूपये की कोर्ट फीस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है।

लिहाजा यह अपील अपीलांट की तरफ से पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 09.12.2024 बअदालत मातहत व आदेश दिनांक 24.12.2024 जिसके आधार पर विरास्तन नामान्तरण संख्या 390 दर्ज व तस्दीक किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे तथा वसीयत दिनांक 24.03.2007 के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश मातहत अदालत को फरमाया जावें ।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री महेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट, श्री रामकुमार बैनिवाल एडवोकेट उपस्थित हुए। रेस्पाडेन्ट संख्या –6 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 8 की ओर से श्री सुबोध शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि श्री भीराज पुत्र डूंगरराम कौम जाट निवासी रामपुरा तहसील रावतसर ने अपनी कृषि भूमि चक 1 आर.पी.एम. 9 एन.डब्ल्यू.डी. 6 एन. डब्ल्यू.डी. 2 डी.डब्ल्यू. एम. में चक 1 आर. पी. एम. की 12 बीघा कमाण्ड, चक 9 एन.डब्ल्यू. डी. की 30 बीघा कमाण्ड, चक 6 एन. डब्ल्यू.डी. की 31 बीघा, चक 2 डी.डब्ल्यू. एम. का 6 बीघा कमाण्ड और 6 एन. डब्ल्यू. डी. की 5 बीघा 83 बीघा में से 1/2 अर्थात 41 बीघा 10 बीस्वा और चक 6 एन. डब्ल्यू.डी. की 12 बीघा 10 बीस्वा कुल 54 बीघा तहसील रावतसर की एक वसीयत कृष्ण, मानाराम, लालचन्द कालुराम पुत्रगण भीराज कौम जाट साकिन रामपुरा के पक्ष में दिनांक 24.03.2007 को तस्दीक करवाई गई। वसीयतकर्ता दिनांक 11.05.2023 को फौत हो गये। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 कालुराम व रेस्पोडेन्ट संख्या–2 नानूदेवी के एतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें पर तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार वादग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पति मानकर वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2024 को खारिज कर दिया तथा वादग्रस्त भूमि का विरास्तन नामान्तरण संख्या 390 दिनांक 24.12.202 को दर्ज कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 390 दिनांक 21.1[illegible]024 [illegible]ो अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:43:53 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 1 ता 5 [illegible] अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा [illegible]त निर्णय उचित है। भीराज पुत्र डूंगरराम कौम जाट निवासी रामपुरा तहसील रावतसर के फौत होनें पर उनके वारिसान

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

पक्ष में विरासतन नामानतरण संख्या 390 तस्दीक किया, जो उचित है। इस हेतु निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1. **DNJ 2021(1) page No. 723**

   - Vimla Devi *Versus* Bhagwati Devi

2. **DNJ 2020 page no. 123**

   - Chand Kanwar & Ors. *Versus* Bheem singh & Ors.

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय से तलबशुदा रिकार्ड का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भीराज पुत्र डूंगरराम द्वारा की गई वसीयत में वर्णित कृषि भूमि को पैतृक सम्पति मानकर वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करनें बाबत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया एंव नियमानुसार विरासतन नामान्तरण दर्ज करनें का आदेश दिया गया। तहसीलदार रावतसर द्वारा पारित निर्णय पर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत पूर्णता चस्पा होते है।

अतः न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.12.2024 एवं विरासतन नामान्तरण संख्या 390 दिनांक 20.12.2024 को तस्दीक करनें में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 23/2/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

आतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:43:53 IST
Reason: SelfAttested